

## भारत के संरक्षण क्षेत्र :-

वन्यजीव, जैविक विविधता, पारिस्थितिक और परिदृश्य (वन, अन्य विशिष्ट) के संरक्षण के लिए स्थापित विनियमित क्षेत्र।

वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क (PAN)

↓  
राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व।

जैविक विविधता

↓  
बायोस्फियर रिजर्व

पारिस्थितिक और परिदृश्य

|              |              |
|--------------|--------------|
| ↓            | ↓            |
| वन           | अन्य         |
| ↓            | ↓            |
| आरक्षित वन,  | मैंग्रोव वन, |
| संरक्षित वन, | आदि भूमि।    |
| ग्राम वन।    |              |

PAN → wild life protection Act, 1972

के अंतर्गत प्रबंधन  
↓

स्थापना, प्रबंधन और संरक्षण  
उपाय तथा मानव गतिविधियों पर  
नियंत्रण के संबंध में।

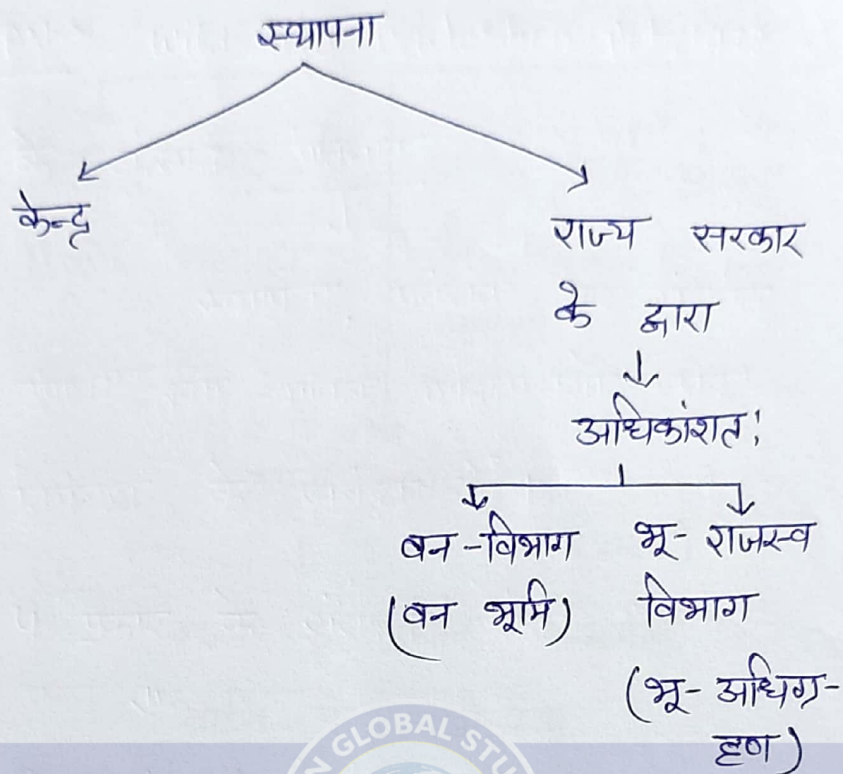
4 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र

↓

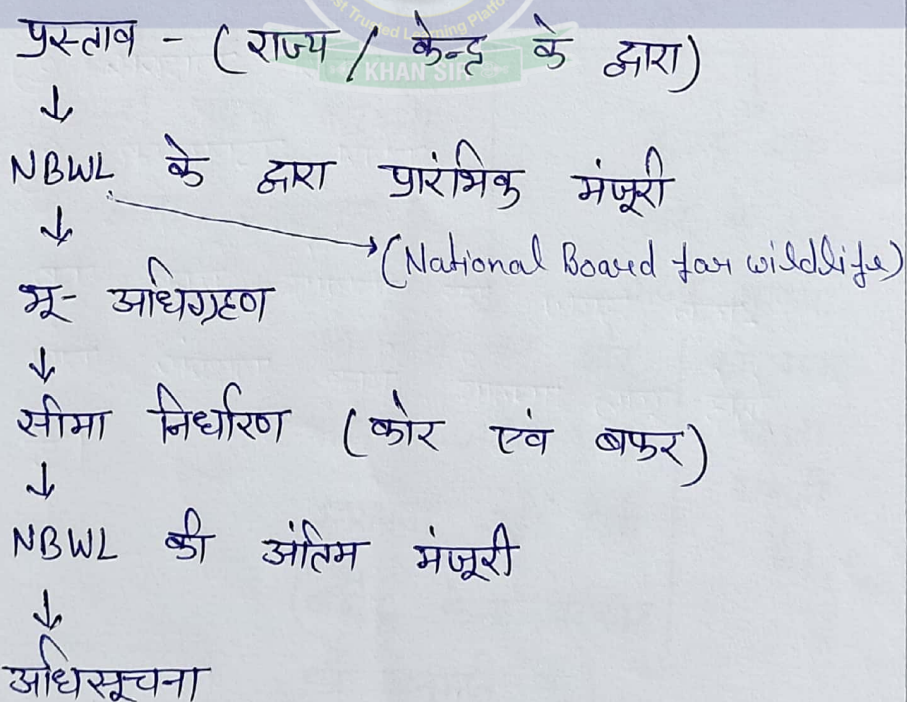
- ① National Park
- ② वन्यजीव अभयारण्य
- ③ संरक्षण रिजर्व
- ④ कम्युनिटी रिजर्व

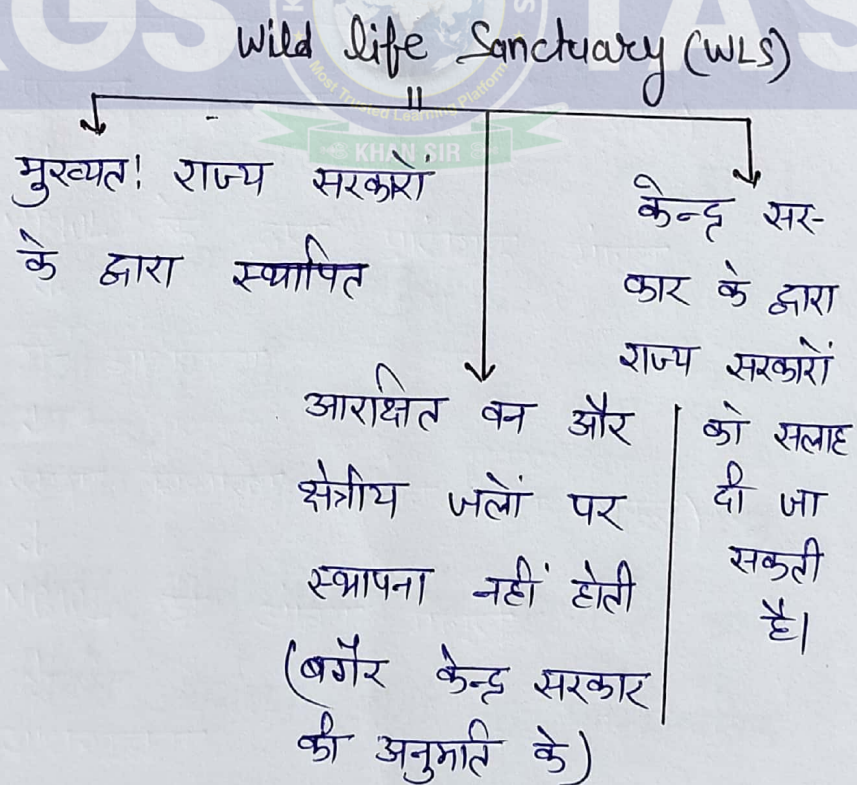
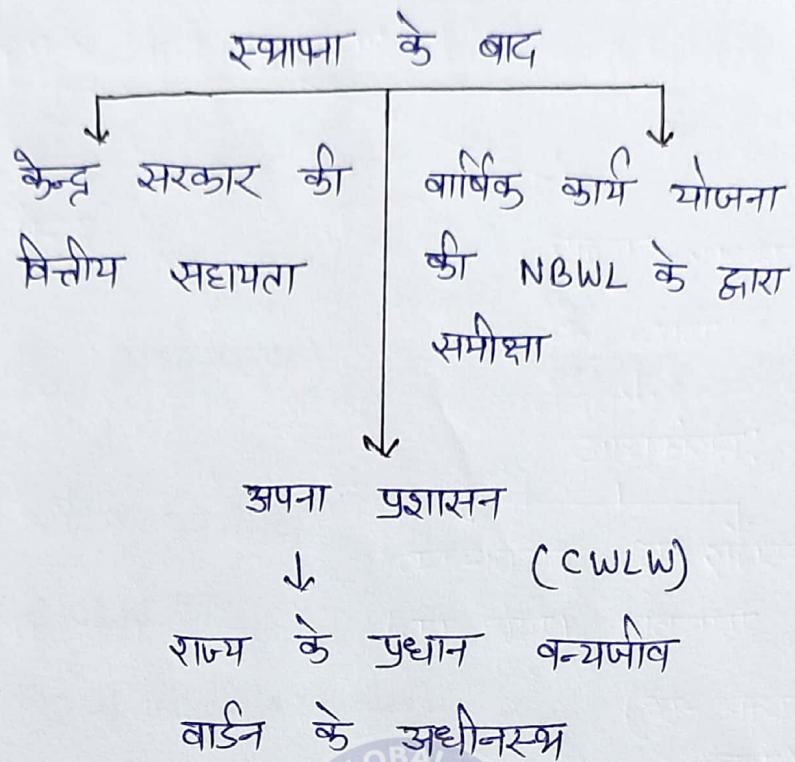
वन कार्य योजना की जगह वन्य-  
जीव संरक्षण कार्य योजना लागू होती  
है।



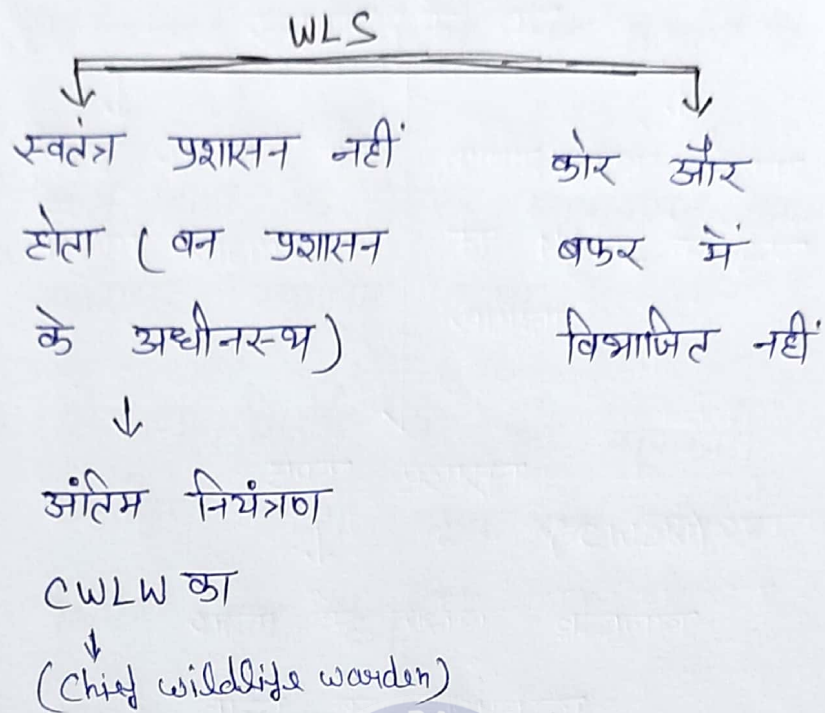


स्थापना की प्रक्रिया →









### संरक्षण रिजर्व

- हमेशा किसी National Park या वन जीव अभ्यारण्य के बाहर के क्षेत्र।
  - आवश्यकता के अनुसार,
  - सभी NP और WLS के साथ नहीं।
- उद्देश्य →
- # संरक्षित क्षेत्रों के ठीक बाहर उन मानव गतिविधियों को नियंत्रित करना जिनसे संरक्षित क्षेत्रों के पारिस्थितिक

तंत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

# वन्य जीवों के लिए आवागमन का कॉरीडोर स्थापित करना।

⇒ संरक्षण रिजर्वों को भी सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर घोषित किया जाता है।

⇒ इनका प्रबंधन स्थानीय समुदाय और वन विभाग के संयुक्त समिति के द्वारा किया जाता है। (यही व्यवस्था सामुदायिक रिजर्व पर भी लागू होती है)।

### सामुदायिक रिजर्व →

# व्यक्तियों/परिवारों की निजी भूमि पर या फिर गाँव की सामुदायिक भूमि पर इनकी स्थापना की जाती है।

# इनकी स्थापना के बाद भी भू-  
स्वामित्व का पैटर्न नहीं बदलता  
किन्तु इस क्षेत्र का प्रबंधन एक  
विशेष समिति के अधीनस्थ होता  
है।

# इन क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य  
वन्य जीवों के लिए कॉरीडोर  
स्थापित करना है।